

उत्तराखण्ड विधान सभा

उत्तराखण्ड विधान सभा की कार्यसूची

शुक्रवार, 21 फाल्गुन, शक संवत्, 1937

(दिनांक : 11 मार्च, 2016)

समय : 11 : 00 बजे पूर्वाह्न

1. अल्प सूचित प्रश्न (देखिए नत्थी "क")।
2. अन्य प्रश्न (देखिए नत्थी "ख")
3. निधन के निदेश।
4. चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) अधिनियम, 2010 की धारा 55 के प्राविधान के अन्तर्गत उत्तराखण्ड नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) नियमावली, 2015 को सदन के पटल पर रखेंगे।
5. सदस्यों की गिरफ्तारी, निरोध व रिहाई की सूचनायें, यदि कोई हों।
6. श्री पुष्कर सिंह धामी, सदस्य, विधान सभा "जनपद ऊधमसिंहनगर के ग्राम खेतलसण्डा मुस्ताजर क्षेत्र खटीमा में श्री महेश चन्द के घर से बाबा जी की बगिया तक 2200 मीटर मार्ग निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में" श्री बॉबी रावत, निवासी ग्राम खेतलसण्डा मुस्ताजर क्षेत्र खटीमा, जनपद ऊधमसिंहनगर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।
7. श्री पुष्कर सिंह धामी, सदस्य, विधान सभा "जनपद ऊधमसिंहनगर के नगरपालिका क्षेत्र खटीमा में राष्ट्रीय राज मार्ग में जलभराव की समस्या के समाधान के सम्बन्ध में" श्री संतोष अग्रवाल, मण्डल अध्यक्ष भा0ज0पा0, निवासी नगरपालिका क्षेत्र खटीमा जनपद ऊधमसिंहनगर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।
8. श्री पुष्कर सिंह धामी, सदस्य, विधान सभा "जनपद ऊधमसिंहनगर के नगरपालिका क्षेत्र खटीमा में दीनदयाल पार्क का सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में" श्री संतोष अग्रवाल, मण्डल अध्यक्ष भा0ज0पा0, निवासी नगरपालिका क्षेत्र खटीमा जनपद ऊधमसिंहनगर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

9. श्री महावीर सिंह रांगड़, सदस्य, विधान सभा “जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड थौलधार के बढ़ते कटखेत मोटर मार्ग के कटान से हुई क्षतिग्रस्त भूमि का प्रतिकर वर्ष 2011 से 2013 तक स्वीकृत दरों से भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में” श्रीमती बबिता शाह, ब्लाक प्रमुख, निवासी थौलधार ग्राम दड़माली, पो0 कटखेत, विकासखण्ड थौलधार, जनपद टिहरी गढ़वाल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।
10. श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, सदस्य, विधान सभा “जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र सल्ट के मानिला बरकिण्डा लिफ्ट पेयजल योजना से पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में” श्री देवी दत्त शर्मा, निवासी ग्राम व पो0 मानिला जनपद अल्मोड़ा एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।
11. श्री पुष्कर सिंह धामी, सदस्य, विधान सभा “जनपद ऊधमसिंहनगर के ग्राम गाँगी खटीमा में मेन रोड़ उल्थन रोड़ की ओर 230 मीटर मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में” श्री ओम प्रकाश गुप्ता, निवासी ग्राम गाँगी, खटीमा जनपद ऊधमसिंहनगर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।
12. विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न, यदि कोई हों।
13. नियम 315 के खण्ड (13) व (14) के अन्तर्गत माननीय अध्यक्ष द्वारा घोषणायें, यदि कोई हों।
14. मंत्रियों द्वारा विविध वक्तव्य, यदि कोई हों।
15. कृषि मंत्री, उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद मण्डी (विकास एवं विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2016 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मागेंगे।
16. कृषि मंत्री, उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद मण्डी (विकास एवं विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2016 को पुरःस्थापित करेंगे।
17. पेयजल मंत्री, उत्तराखण्ड भूगर्भ जल (विकास एवं प्रबन्धन का विनियमन एवं नियंत्रण) विधेयक, 2016 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मागेंगे।
18. पेयजल मंत्री, उत्तराखण्ड भूगर्भ जल (विकास एवं प्रबन्धन का विनियमन एवं नियंत्रण) विधेयक, 2016 को पुरःस्थापित करेंगे।
19. कार्यस्थगन का प्रस्ताव, यदि कोई हो।
20. श्रीमती इन्दिरा हृदयेश, सदस्य विधान सभा द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा एवं पारण :-

“यह सदन माननीय राज्यपाल को उनके द्वारा दिनांक 09 मार्च, 2016 को दिए गये अभिभाषण के लिए कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद प्रकट करता है”

(प्रस्ताव में संशोधनों के लिए देखिए नत्थी “ग”)

(समय : अपराह्न 04:00 बजे)।

21. वित्त मंत्री, वित्तीय वर्ष 2016-17 का आय-व्ययक प्रस्तुत करेंगे।

22. माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा दिनांक 10 जून, 2014 को प्रस्तुत निम्नलिखित सरकारी संकल्प पर चर्चा:-

“राज्य सरकार प्रदेश में कृषि तथा उद्यान एवं इन पर आधारित उद्योगों के लिये ऐसी नीतियां तथा कार्यक्रम क्रियान्वित करेगी जिससे राज्य के पर्वतीय अंचल के कृषि, औद्योगिक उत्पाद तथा प्रसंस्करण उद्योगों को इस प्रकार विकसित किया जा सके, जिसमें प्रदेश को न केवल खाद्य सुरक्षा प्राप्त हो सके अपितु ये उत्पाद प्रदेश की आर्थिकी का भी मजबूत आधार बन सके तथा पर्यावरण संरक्षण वृद्धि के साथ-साथ स्थानीय रोजगार वृद्धि का साधन बने।”

23. माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा दिनांक 10 जून, 2014 को प्रस्तुत निम्नलिखित सरकारी संकल्प पर चर्चा :-

“राज्य सरकार विद्यालयी शिक्षा, उच्च शिक्षा तथा तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता संवर्द्धन, विस्तार, समता तथा सुधारों के लिये ऐसी नीतियां तथा कार्यक्रम क्रियान्वित करेगी, जिससे प्रदेश के सभी वर्गों के प्रत्येक छात्र-छात्रा एवं युवाओं को सुलभ एवं उच्च गुणवत्ता की ऐसी शिक्षा प्राप्त हो सके ताकि वह समाज के उपयोगी, उत्पादक, जागरूक एवं जिम्मेदार सदस्य बन सकें। वे अपने तथा अपने परिवार को आर्थिक स्वनिर्भरता प्रदान कर सकें और सार्थक रोजगार के माध्यम से प्रदेश के आर्थिक उत्थान में योगदान कर सकें।”

24. निम्नलिखित असरकारी संकल्पों का प्रस्तुतीकरण :-

1. श्री महावीर सिंह रांगड,

“इस सदन का यह सुनिश्चित मत है कि राज्य सरकार उत्तराखण्ड के विकेन्द्रीयकृत विकास हेतु संविधान के अनुच्छेद 243 की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिये त्रिस्तरीय पंचायतों को वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराये।”

2. श्री पुष्कर सिंह धामी,

“यह सदन केन्द्र सरकार से संस्तुति करता है कि उत्तराखण्ड में टनकपुर स्थित ‘मां पूर्णागिरी धाम’ हेतु राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली एवं प्रदेश की राजधानी देहरादून से रेलवे लाईन का निर्माण, क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थिति एवं जन सामान्य के हित में तथा पर्यटन के दृष्टि से अत्यन्त आवश्यक है।”

3. श्री सुरेन्द्र सिंह जीना,

“इस सदन का यह सुनिश्चित मत है, कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनसंख्या सम्बन्धी मानकों में और अधिक शिथिलता प्रदान करते हुए, प्रदेश के प्रत्येक गांव को सड़क मार्ग से जोड़ा जाय।”

4. श्री बिशन सिंह चुफाल,

“इस सदन का यह सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में विकास खण्डों की विषम भौगोलिक स्थिति को देखते हुए, विकास खण्डों के पुनर्गठन का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जाय।”

25. डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 07 दिसम्बर, 2012 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा जारी :-

“इस माननीय सदन की सर्व सम्मत राय है कि राज्य सरकार द्वारा जनपद चमोली के अन्तर्गत गैरसैंण (चन्द्रनगर) में उत्तराखण्ड विधान सभा का ग्रीष्मकालीन सत्र प्रतिवर्ष आयोजित किये जाने के निर्णय के दृष्टिगत प्रदेश की वर्तमान अस्थाई राजधानी देहरादून को राजधानी क्षेत्र की सभी सुविधाओं से परिपूर्ण होने के आधार पर स्थाई राजधानी घोषित किया जाय।” (15 मिनट)

26. श्री नवप्रभात, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 11 जून, 2014 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा जारी :-

“यह सदन भारत सरकार से निवेदन करता है कि गंगा नदी के जल की स्वच्छता अभियान की भांति “यमुना स्वच्छता अभियान स्वीकृत किया जाय। इस अभियान के क्रियान्वयन के लिये “गंगा विकास प्राधिकरण” की भांति “यमुना विकास प्राधिकरण” का गठन भी किया जाय।” (15 मिनट)

27. श्री बिशन सिंह चुफाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 17 मार्च, 2015 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा जारी :-

“इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में बन्दरों की जनसंख्या को कम करने के लिए एक अलग से नीति बनायी जायें।” (15 मिनट)

28. श्री मदन कौशिक, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 17 मार्च, 2015 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा जारी :-

“इस सदन का सुनिश्चित मत है कि राज्य में स्थापित उद्योगों में स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिये प्रभावी नीति हेतु इस सदन की समिति बनायी जाये।” (15 मिनट)

29. नियम-105 के प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण:-

1. श्री सुरेन्द्र सिंह जीना,

“यह सदन भारत सरकार से प्रस्ताव करता है कि मध्याह्न भोजन में व्याप्त अनियमितताओं एवं अव्यवहारिकता को दृष्टिगत रखते हुए, इस योजना के स्थान पर किसी अन्य योजना को लागू करने पर विचार करें। ”

30. श्री हरिदास, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 14 दिसम्बर, 2012 को प्रस्तुत नियम-105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा जारी:-

“उत्तराखण्ड सरकार द्वारा राज्य में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों को संविधान में प्रदत्त व्यवस्था के अन्तर्गत बैकलाग के पदों पर भर्ती प्रक्रिया आरम्भ करने हेतु तत्काल अधिनियम बनाकर पारित किया जाय।” (15 मिनट)

31. श्री नवप्रभात, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 14 दिसम्बर, 2012 को प्रस्तुत नियम-54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा जारी :-

“जनपद देहरादून के पछवाडून क्षेत्र की नदियों में चुगान का कार्य जो गढ़वाल मण्डल विकास निगम तथा वन विकास निगम द्वारा किया जा रहा था, के तीन वर्षों से पूर्णतया बन्द होने के कारण निर्माण सामग्री की लागत बढ़ जाने, सरकारी निर्माण कार्य बाधित होने तथा राजस्व की हानि होने के संबंध में।” (15 मिनट)

32. श्री मदन कौशिक, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 14 दिसम्बर, 2012 को प्रस्तुत नियम-54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा जारी :-
“प्रदेश में ऊर्जा की कमी को देखते हुए राज्य में ऊर्जा आधारित विकास की सम्भावनाओं पर विचार हेतु एक समिति बनायी जाय जो सरकार को एक निश्चित समय में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।” (15 मिनट)
33. डा० शैलेन्द्र मोहन सिंघल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 20 फरवरी, 2014 को प्रस्तुत नियम-54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा जारी :-
“उत्तराखण्ड राज्य में उपलब्ध भूमि की सीमित सीमा को देखते हुये कृषि भूमि का अनियंत्रित आवासीय प्रयोग रोकने हेतु प्रदेश में आवासीय सुविधाओं के विकास के लिए एक समग्र नीति निर्धारित करने तथा उत्तराखण्ड में भूकम्प की दृष्टि से बहुमंजिला भवन निर्माण की नीति निर्धारण करने।” (15 मिनट)
34. श्री मदन कौशिक, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 27 नवम्बर, 2014 को प्रस्तुत नियम-105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा जारी :-
“राज्य में नगर निगम व नगर पालिका, नगर पंचायतों के कार्यों के संचालन हेतु संयुक्त रूप से सम्बन्धित निकायों के अधिकारियों/ मेयर/अध्यक्ष/पार्षद/सदस्यों को संयुक्त रूप से प्रशिक्षण दिया जाय।” (15 मिनट)
35. श्री शैलेन्द्र मोहन सिंघल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 27 नवम्बर, 2014 को प्रस्तुत नियम-54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा जारी :-
“राज्य के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक ऐसी बस्तियां बसी हुयी हैं, जिनके निवासियों के पास उस भूमि का कोई मालिकाना प्रमाण पत्र नहीं है, जिस पर उन्होंने अपने रिहायशी मकान बनाये हैं।
ये आवासीय ईकाईयां अस्थायी, अर्द्ध स्थायी तथा स्थायी तीनों संरचनाओं में हैं। ये बस्तियां नदियों के किनारे, सड़कों के किनारे तथा अनुपयुक्त पड़ी राजकीय या विभागीय भूमियों पर विकसित हुयी हैं।
कुछ नगर निकायों में ऐसी बस्तियों को मलिन बस्ती के रूप में अधिसूचित भी किया गया है, परन्तु ग्रामीण क्षेत्र जो ग्राम पंचायतों के अन्तर्गत आता है, में ऐसी कोई अधिसूचना की कार्यवाही नहीं की गयी है।
इन बस्तियों में बिजली, पानी की सुविधाएं अस्थायी व्यवस्थाओं के अन्तर्गत प्रदान की गयी है, परन्तु स्वच्छता की दृष्टि से ये मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। यहां के निवासियों के पास राशन कार्ड, वोटर कार्ड आदि की पूर्ण व्यवस्था है।
इन बस्तियों की बसावट आपदा के समय राहत पहुंचाने की दृष्टि से भी अति संवेदनशील है।
इन बस्तियों के निवासी समाज को मजदूर तथा सेमी स्किल्ड मजदूर के रूप में, अत्यधिक छोटे व्यापारी तथा व्यवसायियों के रूप में अति आवश्यक सेवा प्रदान करते हैं। घरेलू सहायकों के रूप में इनका योगदान है।
सामाजिक संरचना में इस सर्विस सेक्टर के योगदान तथा आवश्यकता को देखते हुए यह समाज के हित में है कि इन मलिन बस्ती वासियों को सुरक्षित स्वच्छ आवासीय सुविधा प्रदान करने की नीति प्रख्यापित की जाय।” (15 मिनट)

36. श्री मदन कौशिक, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 17 मार्च, 2015 को प्रस्तुत नियम-105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा जारी :-

“इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में गन्ना किसानों को गन्ना का उचित मूल्य एवं गन्ना मूल्य के समय पर भुगतान को सुनिश्चित करने के लिये विधान सभा के सदस्यों की एक समिति का गठन किया जाय, जो एक निश्चित समय में अपनी रिपोर्ट देगी।” (15 मिनट)

37. श्री मदन कौशिक, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 17 मार्च, 2015 को प्रस्तुत नियम-54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा जारी :-

“प्रदेश की विषम भौगोलिक परिस्थिति के दृष्टिगत प्रदेश में आपदा की स्थिति से निपटने के लिये विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया जाय जो निश्चित समय के अन्दर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।” (15 मिनट)

38. श्री मदन कौशिक, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 17 मार्च, 2015 को प्रस्तुत नियम-54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा जारी :-

“प्रदेश में आयी भीषण आपदा के बाद प्रदेश की चार धाम यात्रा में घटती यात्रियों की संख्या एवं पर्यटक स्थलों पर पर्यटकों के घटते आकर्षण के दृष्टिगत प्रदेश में यात्रियों को आकर्षित करने तथा देश की जनता का प्रदेश के प्रति घटते विश्वास को प्राप्त करने के लिये एक कार्ययोजना बनायी जाय।” (15 मिनट)

39. श्री मदन कौशिक, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 17 मार्च, 2015 को प्रस्तुत नियम-54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा जारी :-

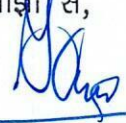
“प्रदेश के धार्मिक महत्व को देखते हुए प्रदेश में किसी धार्मिक उद्देश्य से बनाये गये ट्रस्ट/सोसाईटी अथवा समिति द्वारा चलाये जा रहे मठ/मन्दिर/आश्रम पर राज्य सरकार द्वारा पानी/बिजली/सीवरेज/हाउस टैक्स आदि शुल्क को समाप्त कर दिया जाय।” (15 मिनट)

40. श्री हरभजन सिंह चीमा, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 21 मार्च, 2015 को प्रस्तुत नियम-105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा जारी :-

“इस सदन का सुनिश्चित मत है कि अविभाजित उत्तर प्रदेश में औद्योगिक आस्थानों में छोटे-छोटे उद्योगों को आवंटित भूमि निर्धारित शर्तों पर लीज में दी गयी थी, को फ्री होल्ड में परिवर्तित कर दिया जाय।” (15 मिनट)

41. नियम 53 के अन्तर्गत सूचनाएं, यदि कोई हों।

देहरादून :
दिनांक : 10 मार्च, 2016

आज्ञा से,

(जगदीश चन्द्र)
सचिव।



प्रथम सत्र, 2016
का प्रथम शुक्रवार

उत्तराखण्ड विधान सभा की कार्यसूची

शुक्रवार, 21 फाल्गुन, शक संवत्, 1937

(दिनांक : 11 मार्च, 2016)

नत्थी "क"

अल्पसूचित प्रश्न

श्री मदन कौशिक
01.03.2016

** क्या नियोजन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वर्ष 2015-16 की वार्षिक योजना नियोजन की कितनी धनराशि वर्तमान तक अवमुक्त कर दी गयी है तथा इसके विरुद्ध कितनी धनराशि उपयोग में लाई जा चुकी है ? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि वर्तमान वित्तीय वर्ष के अन्त तक वार्षिक योजना की धनराशि का पूर्ण उपयोग कर लिया जायेगा ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री प्रेम चन्द्र
अग्रवाल
02.03.2016

** क्या शिक्षा मंत्री अवगत है कि ऋषिकेश क्षेत्र में निर्धन छात्र-छात्राओं को शिक्षा पब्लिक स्कूलों में (राइट टु एजुकेशन) का भरपूर लाभ नहीं मिल पा रहा है? यदि हाँ तो इस पर सरकार क्या कदम उठा रही हैं? यदि नहीं तो क्यों ?

नत्थी "ख"

तारांकित प्रश्न

- श्री दलीप रावत
03.02.2016
- *01. क्या लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2011 के अन्तर्गत वर्ष 01.04.2015 को सचिव, लघु एवं मध्यम उद्योग की अध्यक्षता द्वारा चयन किये गये सभी उद्यमियों को उपादान दे दी गयी है ? यदि हां, तो उनको उपादान देने के मानक क्या हैं ? क्या सभी चयनित उद्यमियों को उपादान दिया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?
- लघु उद्योग
- श्री मदन कौशिक
03.02.2016
- *02. स्थगित
- क्या लघु एवं सूक्ष्म उद्योग मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि क्या राज्य में स्थापित निगमों में कार्यरत कर्मचारियों तथा राज्य के कर्मचारियों में समान पद समान वेतन की एक रूपता है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार इस दिशा में कोई नीति बनाकर कार्यवाही करेगी ?
- लघु उद्योग
- श्री ललित फर्स्वाण
04.02.2016
- *3. क्या उद्योग मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में सिडकुल में स्थापित उद्योगों में स्थाई कर्मचारियों व ठेकेदारी प्रथा में नियुक्त कर्मचारियों के हित के लिए कोई नई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी योजना सदन के पटल पर रखेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?
- उद्योग
- श्री ललित फर्स्वाण
04.02.2016
- *4. द्वितीय शुकवार के तारांकित- 11 में स्थानान्तरित
- क्या उद्योग मंत्री अवगत हैं कि क्या टाटा वैन्डर आटोलाईन लि0 कम्पनी रूद्रपुर में कार्यरत संविदा व दैनिक कर्मचारियों के जिनके सेवा के दौरान कार्य करते हुए हाथ पांव कट गये हों को श्रम नियमों के अनुसार मुआवजा प्रदान कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी मुआवजे का विवरण सदन के पटल पर रखेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?
- उद्योग
- श्री ललित फर्स्वाण
04.02.2016
- *5. क्या उद्योग मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में सिडकुल की स्थापना के समय राज्य के लोगों को रोजगार देने के लिये क्या क्या दिशा निर्देश जारी किये गये हैं ? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि सिडकुल में स्थापित उद्योगों ने स्थानीय स्तर पर स्थाई रोजगार प्रदान करने की सरकार की मंशा को पूर्ण किया है ? यदि नहीं, तो कितने उद्योगों के विरुद्ध कार्यवाही अमल में लाई गयी है ?
- उद्योग
- श्री चन्दन राम दास
04.02.2016
- *6. क्या वित्त मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि क्या केन्द्र सरकार से राज्य सरकार को राज्य योजना में पूर्व से कम धनराशि आवंटित की जा रही है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी जिन मदों में धनराशि कम हो रही है उसका तुलनात्मक विवरण देने का कष्ट करेंगे तथा मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि केन्द्रीय करों के सापेक्ष पूर्व में दी गई धनराशि में बढोत्तरी हुई या कमी ? यदि हां, तो कितनी ? क्या सरकार इसका वर्षवार विवरण सदन के पटल पर रखेगी ?
- वित्त

श्री मदन कौशिक 04.02.2016	*07. क्या वित्त मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार द्वारा खराब वित्तीय स्थिति को सुधारने की कोई नीति बनायी गयी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों?	वित्त
श्री पुष्कर सिंह धामी 05.02.2016	*8. द्वितीय बुधवार के तारांकित 18 में स्थानान्तरित क्या वित्त मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में कितनी जगह इन्दिरा अम्मा भोजनालय संचालित किये जा रहे हैं तथा क्या इसमें अन्य विभागों एवं संस्थाओं द्वारा आर्थिक सहायता प्रदत्त की जा रही है ? यदि हां, तो किस-किस विभाग एवं संस्थाओं द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है ? यदि नहीं, तो सरकार द्वारा अभी तक इन्दिरा अम्मा कैंटीन को कितना रुपया सब्सिडी के रूप में दिया गया है?	वित्त
श्री हरबंस कपूर 05.02.2016	*09. क्या लघु एवं सूक्ष्म उद्योग मंत्री बतायेंगे कि प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए कोई नीति बनाई गयी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?	लघु उद्योग
श्री मदन कौशिक 05.02.2016	*10. क्या वित्त मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि नीति आयोग के अन्तर्गत राज्य में केन्द्र से मिलने वाली वर्ष 2015-16 हेतु वित्तीय स्थिति क्या है तथा वर्ष 2014-15 से कितना अधिक है ?	वित्त
श्री गणेश जोशी 05.02.2016	*11. क्या सूक्ष्म एवं लघु उद्योग मंत्री अवगत हैं कि राज्य में विकास के नाम पर मात्र सड़कें, पेयजल एवं विद्युत समस्याओं को प्राथमिकता पर लेकर कार्य किया जाता है ? क्या मंत्री जी यह भी अवगत हैं कि यदि राज्य सरकार सूक्ष्म, लघु व उद्यमों को विकसित करने के लिए बढावा दे तो राज्य के बेरोजगारों के भविष्य में सुधार आ सकता है ? यदि हां, तो क्या सरकार राज्य की बेरोजगारी को देखते हुए सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगों को वृहद रूप देने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?	सूक्ष्म एवं लघु उद्योग
श्री पुष्कर सिंह धामी 06.02.2016	*12. स्थगित क्या नियोजन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश भर में पलायन से कितने गांव खाली हो गये हैं तथा सरकार द्वारा गांवों से पलायन को रोकने के लिए एवं इन गांवों में रह रहे केवल एक दो परिवारों को जंगली जानवरों के खौफ से सुरक्षा हेतु कोई प्रयास किये जा रहे हैं ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?	नियोजन
श्री विशान सिंह चुफाल 06.02.2016	*13. स्थगित क्या श्रम मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में बेरोजगारों को रोजगार देने की कोई नीति बनी है ? यदि हां, तो वित्तीय वर्ष 2013-14 फरवरी, से वर्ष 2014 तक कुल कितने लोगों को रोजगार दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?	श्रम

श्री चन्दन राम
दास
09.02.2016

*14. द्वितीय शुक्रवार के तारांकित 14 में स्थानान्तरित

श्रम

क्या श्रम व सेवायोजन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में स्वयं सेवी संस्थाओं को भी वी0टी0वी0 प्रशिक्षण केन्द्र स्वीकृत किये जाते हैं ? यदि हां, तो विगत 03 वर्षों में किन किन संस्थाओं को वी0टी0वी0 सेन्टर आवंटन हुए हैं तथा क्या उक्त संस्थाओं की किसी प्रकार की जांच लम्बित है ? यदि हां, तो उनके लम्बित भुगतान को रोके जाने का क्या कारण है तथा जांच के बाद भी संस्थाओं के भुगतान रोकने का क्या औचित्य है ?

श्री गणेश जोशी
09.02.2016

*15. क्या उच्च शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि प्रदेश के महाविद्यालयों में उनकी संख्या के अनुरूप शिक्षकों एवं रिक्त अन्य पदों पर भर्ती न होने के कारण महाविद्यालयों में शिक्षा-व्यवस्था का हाल बहुत ही खराब है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में कुल कितने महाविद्यालय हैं एवं शासन द्वारा अनुमन्य पदों के सापेक्ष कुल कितने शिक्षक एवं कर्मचारी तैनात हैं ? क्या मंत्री जी इसका सम्पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखेंगे ? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि क्या सरकार प्रदेश के महाविद्यालयों में रिक्त पदों को विज्ञापित करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उच्च शिक्षा

श्री महावीर सिंह
रांगड़
09.02.2016

*16. क्या वित्त मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के अन्दर विभिन्न प्रकार की भूमि के क्रय विक्रय हेतु सरकार ने सर्किल रेटों का पुनर्निर्धारण किया है ? यदि हां, तो उसका विवरण सदन के पटल में रखेंगे ? क्या सरकार व्यापक जनविरोध के कारण बढ़ाये गये सर्किल रेट पर पुनर्विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वित्त

श्री गणेश जोशी
10.02.2016

*17. क्या सेवायोजन मंत्री अवगत हैं कि उत्तराखण्ड के सेवायोजन कार्यालयों में दर्ज शिक्षित बेरोजगारों को 09 नवम्बर, 2012 से प्रवृत्त रोजगार सह कौशल विकास भत्ता दिया जाना तय था जिसमें प्रत्येक बेरोजगार को प्रतिमाह भत्ता दिये जाने की बात कही गई थी ? यदि हां, तो क्या मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उक्त योजना के प्रारम्भ होने के बाद अब तक कितने शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार सह कौशल विकास भत्ता एवं भत्ते की धनराशि प्रदान की जा चुकी है उसका जनपदवार विवरण क्या है ? क्या सरकार रोजगार सह कौशल विकास भत्ते के तहत दी जाने वाली राशि को दो गुना करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सेवायोजन

श्री सुरेन्द्र सिंह
जीना
10.02.2016

*18. तृतीय शुक्रवार के तारांकित -01 में स्थानान्तरित

लघु
उद्योग

क्या लघु उद्योग मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि क्या अल्मोड़ा जिला के सल्ट विधान सभा के अन्तर्गत पीतल आधारित उद्योगों की स्थापना हेतु औद्योगिक आस्थान बनाये जाने की योजना है ? यदि हां, तो इस हेतु कहां-कहां और कितनी भूमि की व्यवस्था की गयी है एवं वर्तमान समय तक कितने उद्योगों ने इस आस्थान में आदेवन किये हैं अथवा सहमति व्यक्त की है ? क्या सरकार तत्संबंधी पूर्ण विवरण देगी ? यदि हां, तो क्या सरकार इसमें स्थानीय लोगों को भी भागीदार बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेन्द्र सिंह
जीना 11.02.2016

*19 विस्तीर्णता एवं विभिन्न विभागों से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त . नियोजन
क्या नियोजन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे, कि अल्मोड़ा जिले के किन-किन गाँवों में आबादी 2001 की तुलना में 2011 में अधिक हुई है, तथा किन-किन गाँवों की आबादी कम हुई है ? क्या सरकार इस तरह से पलायन कर ग्रामों के गैर-आबाद होने के कारणों का पता लगाया गया है ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री महावीर सिंह
रांगड़ 15.02.16

*20. चतुर्थ सोमवार के तारांकित -14 में स्थानान्तरित नियोजन
क्या नियोजन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में कितने गांव विस्थापित किये जाने हेतु चिन्हित हैं ? क्या चिन्हित किये गये गांवों के पुर्नस्थापन की सरकार की कोई कार्ययोजना हैं ? यदि हाँ तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों ?

अतारांकित प्रश्न

श्री पूरन सिंह
फर्त्याल
03.02.2016

01. क्या वित्त मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सीमान्त भत्ता किन-किन वित्त
जनपदों में अनुमन्य है एवं उसके मानक क्या हैं? क्या सरकार विकास खण्ड बाराकोट जनपद चम्पावत, जनपद पिथौरागढ़ सहित उत्तरकाशी, चमोली, बागेश्वर के जनपदों में कार्यरत कार्मिकों को भी सीमान्त भत्ता दिये जाने पर विचार करेगी? यदि हां, तो शासनादेश कब तक जारी हो जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री पूरन सिंह
फर्त्याल
03.02.2016

02. क्या वित्त मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में दुर्गम स्थानों पर वित्त
विद्यालयों में कार्य कर रहे शिक्षकों को विशेष दुर्गम क्षेत्र भत्ता दिया जा रहा है? यदि हां, तो विवरण क्या है ? क्या सरकार दुर्गम क्षेत्र में शिक्षकों की कमी के दृष्टिगत दुर्गम क्षेत्र भत्ता देने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक शासनादेश जारी कर दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री पूरन सिंह
फर्त्याल
03.02.2016

03. क्या उच्च शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि जनपद चम्पावत के अन्तर्गत पाटी उच्च शिक्षा
मे सरकार द्वारा डिग्री कॉलेज खोले जाने हेतु ग्राम पंचायत जौलाड़ी में 192 नाली भूमि डिग्री कॉलेज के नाम से रजिस्ट्री कराने के उपरान्त भी अभी तक डिग्री कॉलेज निर्माण का कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका है जबकि उक्त स्थान से आस-पास 11 से 12 इण्टर कॉलेज एवं विद्यालय संचालित हैं ? क्या सरकार उक्त चयनित स्थान पर डिग्री कॉलेज खोले जाने की स्वीकृति प्रदान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री चन्दन राम
दास
04.02.2016

04. क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राजकीय महाविद्यालय उच्च शिक्षा
गरुड़ जिला बागेश्वर में इतिहास व संस्कृत के विषय स्वीकृत हैं ? यदि हां, तो स्वीकृति के बाद भी लम्बे समय से महाविद्यालय में उक्त दोनों विषयों की कक्षाएँ न चलने का क्या कारण हैं ? सरकार उक्त दोनों विषयों की पढाई शुरू करने का समय व अवधि बतायेगी ?

- श्री चन्दन राम दास
04.02.2016
05. क्या वित्त मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि क्या मिनिस्ट्रीयल कर्मचारियों को 6 वें वेतनमान के अनुसार उनके निर्धारित ग्रेड पे दिये जाने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो किस प्रकार से व कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?
- श्री अमृता रावत
05.02.2016
6. क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि रामनगर क्षेत्र भ्रमण के दौरान तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिनांक 06/10/2013 को मालधनचौड़ में आयोजित जनसभा में मालधनचौड़ डिग्री कालेज की स्थापना किए जाने की घोषणा की गई है ? यदि हां तो इस घोषणा के क्रियान्वयन हेतु की गई कार्यवाही और अब तक हुई प्रगति का विवरण क्या है तथा कब तक डिग्री कालेज का संचालन प्रारम्भ किए जाने की सम्भावना है ?
- श्री मदन कौशिक
05.02.2016
7. क्या नियोजन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वर्ष 2014-15 की वार्षिक योजना की कितनी धनराशि वर्तमान तक अवमुक्त कर दी गयी है तथा इसके विरुद्ध कितनी धनराशि उपयोग में लाई जा चुकी है ? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि वर्तमान वित्तीय वर्ष के अन्त तक वार्षिक योजना की धनराशि का पूर्ण उपयोग कर लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?
- श्री मदन कौशिक
06.02.2016
8. क्या वित्त मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में डीजल, पेट्रोल पर 2012 से आज तक वैट बढ़ाया गया है ? यदि हां, तो कितना ? क्या वैट बढ़ाने के कारण प्रदेश के सीमावर्ती जनपदों में डीजल, पेट्रोल, की बिक्री पर फर्क पड़ा है ? यदि हां, तो कितना ?
- श्री गणेश जोशी
06.02.2016
9. क्या उच्च शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि जनपद देहरादून के डी0ए0वी0 सहित अन्य महाविद्यालयों में विद्यार्थियों को एक निर्धारित सीमा के बाद दाखिला देने से मना किया जाता है ? यदि हां, तो क्या मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विद्यार्थियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए जनपद देहरादून के गढी कैंट क्षेत्र में राजकीय महाविद्यालय खोलने का प्रस्ताव शासन स्तर पर लम्बित है ? यदि हां, तो किन कारणों से प्रस्ताव को लम्बित किया गया है और कब तक स्वीकृति प्रदान की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों ?
- श्री सहदेव सिंह पुण्डीर
10.02.2016
10. क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि क्या जनपद देहरादून की विधान सभा क्षेत्र सहसपुर के अन्तर्गत सेलाकुई औद्योगिक क्षेत्र के अन्तर्गत फार्मासिटी से जो खाला जमनपुर की ओर निकलता है उक्त खाले पर फैक्ट्रियों का गन्दा पानी व कैमिकल बहता रहता है जिससे क्षेत्र में गन्दगी उत्पन्न हो रही है ? क्या सरकार द्वारा उक्त खाले को अन्डरग्राउन्ड किया जाना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?
- श्री ललित फर्स्वाण
11.02.2016
11. क्या उच्च शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा धोषणा सं0 752/2015 से जनपद बागेश्वर के रा0महा0वि0 कपकोट में एम0ए0 की कक्षाएं संचालित कर चित्रकला, भूगोल एवं गृह विज्ञान विषय की स्वीकृति प्रदान किये जाने की घोषणा की गई है ? यदि हां, तो तत्संबंधी शासनादेश कब निर्गत किय जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

- श्री ललित फर्स्वाण 11.02.2016 12. क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद बागेश्वर के कपकोट विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत रा0महा0वि0 कपकोट के भवन निर्माण हेतु धन आवंटित किया गया है ? यदि हां, तो कितना ? यदि नहीं, तो क्यों ? उच्च शिक्षा
- श्री ललित फर्स्वाण 11.02.2016 13. क्या उच्च शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत नवसृजित तहसील बनलेख, दुग नाकुरी क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा सं0 608/2012 के द्वारा डिग्री कालेज की स्थापना की घोषणा की गई है ? यदि हां, तो डिग्री कालेज की स्थापना का शासनादेश कब होगा ? यदि नहीं, तो क्यों ? उच्च शिक्षा
- श्री सहदेव सिंह पुण्डीर 11.02.2016 14. क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद देहरादून, की विधान सभा क्षेत्र सहसपुर के विकास खण्ड सहसपुर के अन्तर्गत कोई भी डिग्री कॉलेज नहीं है ? क्या सरकार द्वारा विकास खण्ड सहसपुर में कोई डिग्री कॉलेज खोला जाना प्रस्तावित है ? यदि हां तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ? उच्च शिक्षा
- श्री ललित फर्स्वाण 15.02.2016 15. क्या उद्योग मंत्री प्रदेश में टाटा की वैन्डर आटोलाईन लिमिटेड कम्पनी (सिडकुल) में कार्यरत संविदा, ठेकेदारी प्रथा, कुशल, अकुशल, अर्द्धकुशल, व रेगुलर कर्मचारियों का विवरण देने का कष्ट करेंगे एवं कम्पनी द्वारा कितना मानदेय का भुगतान किया जा रहा है ? क्या कम्पनी तीन शिफ्टों में कार्य कर रही है ? क्या विभागीय अधिकारियों द्वारा समय समय पर निरीक्षण किया जाता है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उद्योग
- श्री ललित फर्स्वाण 15.02.2016 16. क्या उद्योग मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में स्थापित होने वाले उद्योगों में मशीन लगाये जाने हेतु क्या दिशा निर्देश हैं ? क्या टाटा की वैन्डर आटोलाईन लि0मि0 कम्पनी रुद्रपुर में सरकार द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों का पालन किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उद्योग
- श्री ललित फर्स्वाण 15.02.2016 17. क्या उद्योग मंत्री अवगत हैं कि टाटा की वैन्डर ऑटोलाईन लिमि0 कम्पनी रुद्रपुर को उद्योग लगाने के लिए निःशुल्क भूमि दी गयी है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी वैन्डर ऑटोलाईन को दी गयी भूमि का विवरण सदन के पटल पर रखेंगे ? उद्योग
- श्री ललित फर्स्वाण 15.02.2016 18. क्या उच्च शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा धोषणा सं0 754/2015 से जनपद बागेश्वर के काण्डा में रा0महा0वि0 में स्नातक स्तर पर विज्ञान वर्ग मानव विज्ञान एवं भू-विज्ञान की स्वीकृति प्रदान की गई है एवं काण्डा महाविद्यालय में एम0ए0 की कक्षाएँ संचालित कर चित्रकला, भूगोल एवं गृह विज्ञान विषय की स्वीकृति किये जाने की घोषणा की गई है ? यदि हां, तो तत्संबंधी शासनादेश कब निर्गत किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ? उच्च शिक्षा
- श्री ललित फर्स्वाण 15.02.2016 19. क्या उच्च शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र कपकोट में रा0महा0वि0 दुगनाकुरी के भवन निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध होने के बावजूद भी निर्माण कार्य नहीं हो पा रहा है ? यदि हां, तो महा0वि0 दुगनाकुरी का भवन निर्माण कार्य कब प्रारम्भ किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ? उच्च शिक्षा

- श्री हरभजन सिंह
चीमा
15.02.2016
20. क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि क्या सरकार श्री राधेहरि डिग्री कालेज काशीपुर में कानून की कक्षाएँ संचालित करने पर विचार कर रही हैं? यदि हाँ तो क्या सरकार शिक्षण सत्र 2016-17 से सम्बन्धित कक्षाएँ प्रारम्भ करेगी ? यदि नहीं तो क्यों ? उच्च शिक्षा
- श्री ललित फर्स्वाण
16.02.16
21. क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद बागेश्वर के कपकोट विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत रा0महा0वि0बनलेख (दुग नाकुरी) के भवन निर्माण हेतु धन आवंटित किया गया है ? यदि हाँ, तो कितना ? यदि नहीं , तो क्यों ? उच्च शिक्षा
- श्री ललित फर्स्वाण
16.02.16
22. क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत गरुड महाविद्यालय के भवन की भूमि का चयन हो चुका है? यदि हाँ, तो भवन निर्माण हेतु धन कब तक आवंटित होगा? यदि नहीं, तो क्यों? उच्च शिक्षा
- श्री ललित फर्स्वाण
16.02.16
23. क्या श्रम मंत्री अवगत हैं कि टाटा की वैन्डर आटोलाईन लि0 कम्पनी रुद्रपुर में कार्यरत श्रमिकों के लिए पंखे, पानी, कैन्टीन की उचित व्यवस्था है ? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि सिडकुल में स्थापित उद्योगों में श्रमिकों के हितों के लिये विभागीय निरीक्षण की व्यवस्था है ? यदि हाँ, तो क्या मंत्री जी टाटा की वैन्डर आटोलाईन लि0मि0 रुद्रपुर में विभागीय निरीक्षण आख्या सदन के पटल पर रखेंगे? यदि नहीं, तो क्यों ? श्रम
- श्री ललित फर्स्वाण
16.02.16
24. क्या श्रम मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि टाटा की वैन्डर आटो लाईन लिमि0 कम्पनी रुद्रपुर में कार्यरत श्रमिकों का मेडिकलेम, जी0पी0एफ0 एवं पी0एफ0 कटता है ? यदि हाँ, तो क्या मंत्री जी विवरण सदन के पटल पर रखेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ? श्रम
- श्री महावीर सिंह
रांगड़
16.02.16
25. क्या उच्च शिक्षा मंत्री अवगत है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र धनोल्टी के अन्तर्गत विकास खण्ड जौनपुर में थत्यूड़ महाविद्यालय एक जीर्ण-शीर्ण प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में वर्ष 2010 से संचालित है ? क्या सरकार महाविद्यालय हेतु भवन निर्माण के सम्बन्ध में विचार कर रही हैं ? यदि हाँ तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ? उच्च शिक्षा